

कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

उपस्थित श्री मृत्युंजय कुमार नारायण, कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।
प्रार्थी सर्वश्री तरंग अरोरा पुत्र श्री रमेश अरोरा, 13, रघुकुल विहार, ट्रान्सपोर्ट नगर,
मेरठ ।
प्रार्थना-पत्र संख्या व दिनांक 52 / 13, 22.10.2013
प्रार्थी की ओर से श्री देवेन्द्र सिंह, विद्वान अधिवक्ता ।

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय

सर्वश्री तरंग अरोरा पुत्र श्री रमेश अरोरा, 13, रघुकुल विहार, ट्रान्सपोर्ट नगर, मेरठ द्वारा दिनांक 22.10.2013 को उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र दाखिल किया गया, जिसमें उनके द्वारा निम्न प्रश्न पूछा गया है :-

What is the rate of tax under U.P. VAT Act on Liquefied Natural Gas (LNG) and Re-gasified Liquefied Natural Gas (RLNG) ?

2. प्रार्थना-पत्र की सुनवाई हेतु श्री देवेन्द्र सिंह, विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हुए, उनके द्वारा प्रार्थना-पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कहा गया कि नेचुरल गैस को (-) 161 डिग्री तक ठंडा करने पर Liquefied Natural Gas (LNG) बनती है । यह प्रक्रिया नेचुरल गैस के स्टोरेज एवं परिवहन के लिए आवश्यक है ।

यह भी कहा गया कि LNG को परिवहन के बाद पुनः रीगैसीफाइड किया जाता है एवं इसे RLNG (Regasified Liquefied Natural Gas) कहते हैं । LNG एवं RLNG बनाने की प्रक्रिया में बड़े प्लान्ट लगते हैं । यह भी कहा गया कि RLNG की आपूर्ति की प्रक्रिया PNG की भाँति है ।

यह भी कहा गया कि PNG के सन्दर्भ उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 के प्रार्थना-पत्र संख्या-04 / 09 सर्वश्री सेन्ट्रल यू0 पी0 गैस लिमिटेड, VII तल, UPSIDC Complex, A-1 / 4, लखनपुर, कानपुर के मामले में यह निर्णय हो चुका है कि PNG अवर्गीकृत वस्तु की भाँति करयोग्य है । तदनुसार निर्णय करने का अनुरोध किया गया ।

3. प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा कहा गया है कि उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 के शिड्यूल-IV के क्रमांक-8 (a), 8 (b) व 8 (c) की प्रविष्टि निम्न भाँति है :-

8(a)	Natural gas other than Compressed Natural Gas {CNG} when sold to an industrial unit* of a registered dealer for use in the process of manufacture of taxable goods other than non-VAT-goods against certificate prescribed by the Commissioner	M or I	5%
------	--	--------	----

सर्वश्री तरंग अरोरा पुत्र श्री रमेश अरोरा / प्रा0 पत्र सं0-52 / 13 / धारा-59 / पृष्ठ-2

8(b)	Natural gas other than Compressed Natural Gas {CNG} When sold to registered dealer for use in the process of manufacture by an industrial unit* situated in Taj trapezium Area against certificate prescribed by the Commissioner	M or I	5%
------	---	--------	----

8(c)	Natural gas other than Compressed Natural Gas {CNG} in cases other than those described in serial no. 8(a) and 8(b)	M or I	21%
------	---	--------	-----

*Note-Industrial Unit means any factory or workshop established on land or building of own or taken on lease.

उक्त प्रविष्टि में कम्प्रेस्ड नेचुरल गैस (CNG) के अतिरिक्त सभी प्रकार की नेचुरल गैस को सम्मिलित किया गया है। THE PETROLEUM AND NATURAL GAS REGULATORY BOARD ACT, 2006 की 2 (za) में “ natural gas ” की परिभाषा निम्न भाँति दी गयी है :-

“ natural gas ” means gas obtained from bore-holes and consisting primarily of hydrocarbons and includes-

- (i) gas in liquid state, namely, liquefied natural gas and regasified liquefied natural gas,
- (ii) compressed natural gas,
- (iii) gas imported through transnational pipe lines, including CNG or liquefied natural gas,
- (iv) gas recovered from gas hydrates as natural gas,
- (v) methane obtained from coal seams, namely, coal bed methane, but does not include helium

occurring in association with such hydrocarbons;

उक्त परिभाषा से स्पष्ट है कि LNG एवं RLNG दोनों ही नेचुरल गैस के अन्तर्गत आते हैं जैसा कि क्रमांक-(i) की प्रविष्टि से स्पष्ट है। नेचुरल गैस एवं LNG तथा RLNG की भौतिक प्रकृति एक ही है।

यह भी कहा गया कि प्रार्थना-पत्र संख्या-04 / 09 सर्वश्री सेन्द्रल यू0 पी0 गैस लिमिटेड, VII तल, UPSIDC Complex, A-1 / 4, लखनपुर, कानपुर में उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 के निर्णय दिनांक 29.03.2010 में नेचुरल गैस की परिभाषा पर विचार नहीं किया गया है। यह परिभाषा भारत सरकार के द्वारा दी गयी है एवं सर्वमान्य है। अतः LNG तथा RLNG को उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 के शिड्यूल-IV की प्रविष्टि संख्या-8 (a), 8 (b) एवं 8 (c) के अन्तर्गत करयोग्य होना चाहिए।

4. मेरे द्वारा धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित तर्कों, प्रस्तुत साक्ष्यों एवं विधि-व्यवस्था का परिशीलन किया गया। पाया गया कि उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 के शिड्यूल-IV की प्रविष्टि संख्या-8 (a), 8 (b) तथा 8 (c) के अन्तर्गत कम्प्रेस्ड नेचुरल गैस को छोड़कर सभी प्रकार की नेचुरल गैस सम्मिलित है। नेचुरल

सर्वश्री तरंग अरोरा पुत्र श्री रमेश अरोरा / प्रा0 पत्र सं0-52 / 13 / धारा-59 / पृष्ठ-3

गैस को भारत सरकार के THE PETROLEUM AND NATURAL GAS REGULATORY BOARD ACT, 2006 के अन्तर्गत परिभाषित किया गया है। इसमें Liquefied Natural Gas तथा Regasified Liquefied Natural Gas दोनों सम्मिलित हैं। अतः LNG एवं RLNG दोनों ही उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 के शिड्यूल-IV की प्रविष्टि संख्या-8 (a), 8 (b) एवं 8 (c) के अन्तर्गत विज्ञापित दर से करयोग्य होंगे।

5. प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित प्रश्न का उत्तर उपरोक्तानुसार दिया जाता है।

6. उपरोक्त की एक प्रति व्यापारी, कर निर्धारण अधिकारी व कम्प्यूटर में अप लोड करने हेतु मुख्यालय के आई0 टी0 अनुभाग को प्रेषित कर दी जाय।

दिनांक 30 जनवरी, 2014

ह0 / 30.01.2014

(मृत्युंजय कुमार नारायण)

कमिश्नर, वाणिज्य कर,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।